राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भूतल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

क्रमांक:एफ1(1)(1)आ.प्र.स.आ.एवंना.सु./सामान्य/2018/ 159-167 जयपुर,दिनांक 09.01.2019

जिला कलेक्टर,
बाडमेर, हनुमानगढ, जैसलमेर,
जोधपुर,पाली, बीकानेर,
चूरू, जालौर एवं नागौर, राजस्थान।

विषय :– खरीफ फसल 2018(संवत 2075) में सूखे से प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान वितरण बाबत।
संदर्भ :– विभागीय दिशा निर्देश क्रमांक 19609–19618 दिनांक 31.12.2018 के क्रम में।

IMPORTANT

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खरीफ संवत 2075(वर्ष 2018–19) में 9 जिलों की 58 तहसीलों की 5555 गॉवों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाकर अधिसूचना जारी की गयी है। सूखे से प्रभावित गॉवों के लघु एवं सीमान्त श्रेणी के (SMF) काश्तकार जिनकी फसलों में खराबा 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य था, उनका IFMS के पै–मेनेजर के माध्यम से DBT से कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु संदर्भित विभागीय दिशा निर्देश जारी किये गये थे। उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार सूखे से प्रभावित अधिसूचित गॉवों के **लघु एवं सीमान्त श्रेणी के (SMF) 33 प्रतिशत से 100 प्रतिशत खराबा वाले सभी पात्र प्रभावित काश्तकारों एवं 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत खराबा वाले अन्य श्रेणी के काश्तकारों (OSMF) को** कृषि आदान अनुदान सहायता वितरित करने का निर्णय लिया गया है। अतः संदर्भित दिशा निर्देश की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए सूखे से अधिसूचित गॉवों के **उपरोक्त श्रेणी के प्रभावित पात्र काश्तकारों की सूचियॉ जिसमें काश्तकारों का आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर, बैंक खाता नम्बर तथा बैंक के IFSC कोड का अंकन आवश्यक रूप से हो, की सूचियों सहित दिनांक 25 जनवरी, 2019 तक विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऑन लाईन बजट मांग की जाकर** दिनांक 31 जनवरी, 2019 तक पात्र काश्तकारों के खातों में IFMS के पै–मेनेजर के माध्यम से DBT द्वारा कृषि आदान अनुदान राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाकर लाभान्वित कृषकों की सूचियॉ वेब साईट पर अपलोड करवाये जाने का श्रम करें। कृषि आदान अनुदान के वितरण पश्चात दिशा निर्देशों के अनुरूप **28 फरवरी, 2019** तक पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित किये जावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

9/1

शासन सचिव